

**डॉ० भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान
वर्ष 2020 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन की नियम एवं शर्तें।**

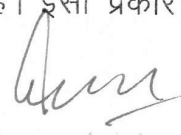
-0-

4. प्रविष्टियां/आवेदन के मापदण्ड

सम्मान के लिए प्रविष्टियां/आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते हैं :-

1. संस्था का पूर्ण परिचय
2. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए संस्था द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी ।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण ।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)
5. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य ।
6. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र ।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में संस्था की सहमति ।
8. जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति ।
9. चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी ।
10. एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं हैं ।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा । इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा ।

5. संस्था को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा संस्था के कार्य का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। तथा इस हेतु वे (संस्था) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।


आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)